हरिभूमि
epaper.haribhoomi.com
Raipur Bhoomi - 01 Aug 2025 - Page 1

पापुनि घोटाले में 14 साल बाद कोर्ट में 2000 पन्नों का चालान पेश

हरिभूमि न्यूज ▶▶| रायपुर

छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम में डेढ़ दशक पूर्व वर्ष 2009-10 में नियमों तथा निविदा शर्तों का उल्लंघन कर पुस्तक छपाई कराकर साढ़े 3 करोड़ 62 लाख रुपए के घोटाले में ईओडब्लू, एसीबी ने गुरुवार को स्पेशल कोर्ट में चालान पेश किया। इसमें पाठ्य पुस्तक निगम तथा प्रकाशन से जुड़े चार लोग नामजद हैं। उनके खिलाफ कोर्ट में दो हजार पन्नों से ज्यादा का चालन पेश किया गया है।

प्रकरण में आरोपी बनाए गए तत्कालीन प्रबंध संचालक के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति मिलने के बाद उसके खिलाफ अलग से पूरक चालान पेश किया जाएगा। इनके खिलाफ ईओडब्लू तथा एसीबी में आईपीसी की धारा 420, 120-बी एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1) डी 13 (2) के तहत अपराध दर्ज है। ईओडब्लू ने पाठ्य पुस्तक निगम के तत्कालीन महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक, मुद्रक, तकनीशियन मुद्रक तथा प्रकाशक के खिलाफ चालान पेश किया है। अभियोजन स्वीकृति मिलने के बाद तत्कालीन प्रबंध संचालक के खिलाफ भी पूरक चालान पेश किया जाएगा। आरोप है कि वर्ष 2009-10 ▶▶|शेष पेज 13 पर

दो करोड़ से कम की राशि का भुगतान

कोर्ट में ईओडब्लू ने जो चालान पेश किया है, उसके मुताबिक मुद्रकों को डाई कटिंग सहित भुगतान करना बताया गया है, जबकि डाई कटिंग की राशि छोड़कर कुल एक करोड़ 83 लाख 95 हजार 440 रुपए भुगतान किया जाना था। पाठ्य पुस्तक निगम के अधिकारियों द्वारा 4 करोड़ 3 लाख 9 हजार 200 रुपए मुद्रकों को अधिक भुगतान किया गया। इस राशि में से पांच प्रतिशत सर्विस टैक्स तथा दो प्रतिशत टीडीएस काटकर शेष राशि पाठ्य पुस्तक निगम के अधिकारी ने घोटाला कर अपने पास रख लिए।